जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-02.07.2025**

एसओजी टीम व थाना कोतवाली शामली पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में सिम्भालका बाईपास पर धागा व्यापारी के मुनीम व चालक से हुई लूट की घटना में वांछित 50,000/- रुपये का ईनामी अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गई नगदी 02 लाख रुपये, अवैध हथियार-कारतूस व मोटर साईकिल बरामद।

ज्ञात हो कि दिनाँक 03.06.2025 को सांय 18.12 बजे डीसीआर को सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत सिम्भालका बाईपास पर मेरठ से पानीपत जाते समय पानीपत निवासी धागा व्यापारी के ड्राईवर सतनाम पुत्र दर्शन निवासी नूर वाला थाना जनपद पानीपत व मुनीम अनिल पुत्र स्वरूप निवासी कहलपा थाना बडौदा जनपद सोनीपत से भारत सरकार लिखी बुलेरो सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा स्वंय को जीएसटी अधिकारी बताकर चेकिंग के लिये गाड़ी रुकवाकर करीब 32 लाख रुपये लेकर थाना किला जनपद पानीपत हरियाणा में आने की बात कहकर चले गये है। सूचना पर तत्काल श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर व अन्य सभी उच्चाधिकारीगण, थाना कोतवाली शामली पुलिस, एसओजी/सर्विलांस, फील्ड़ यूनिट की टीमों द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये। घटना के सम्बन्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 274/2025 धारा 309(4) बीएनएस मे पंजीकृत किया गया। घटना की गंभीरता के दृष्टिगत घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक शामली महोदय द्वारा 04 टीमों का गठन कर घटना का यथाशीघ्र अनावरण किये जाने के निर्देश दिये गये थे। एसओजी टीम शामली व थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा दिनाँक 08.06.2025 को घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना में लिप्त अभियुक्तगण मोहित, शुभम उर्फ गौरव, अमरजीत, गुलशन, रवि को बाद पुलिस मुठभेड़ लूटी गयी नगदी 10 लाख रुपये, अवैध हथियार-कारतूस एवं गाड़ी सहित गिरफ्तार किया गया था। गठित की गयी टीमों द्वारा घटना में लिप्त शेष अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में दिनांक 01.07.2025 को अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन मेरठ श्री भानू भास्कर, पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर श्री अभिषेक सिंह के कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार व अपर पुलिस अधीक्षक शामली व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में एसओजी शामली व थाना कोतवाली शामली पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 03.06.2025 को सिंभालका बाईपास पर धागा व्यापारी के मुनीम व चालक से भारत सरकार का स्टीकर लगाकर, जीएसटी अधिकारी बताकर हुई लूट की घटना में वांछित 50,000/- रुपये के ईनामी अभियुक्त राहुल पुत्र सतीश कक्कड़ निवासी सेक्टर नं0 04 थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद को चैकिंग के दौरान सिंभालका बाईपास के पास हुई पुलिस मुठभेड में आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में घायल/गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त के कब्जे से लूटी गयी 02 लाख रुपये की नगदी, 01 अवैध तमंचा 01 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक मोटर साईकिल बरामद हुई है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी शामली भेजा गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है। शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.राहुल पुत्र सतीश कक्कड़ निवासी निवासी सेक्टर नं0 04 थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरणः-

1.लूटी गयी नगदी 02 लाख रुपये।

2.एक अवैध तमंचा मय 01 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस।

3.एक मोटर साईकिल हीरो होण्डा सीडी डॉन बिना नम्बर प्लेट।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राहुल उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 274/2025 धारा 310(2)/61(2)(ए)/336(2)/317(3) बीएनएस थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 308/2023 धारा 448/509 भादवि थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद।

2.मु0अ0सं0 466/2017 धारा 341/392/411/34 भादवि थाना सनलाईट कालोनी दिल्ली।

3.मु0अ0सं0 206/2016 धारा 323/341/506/34 भादवि थाना जी0टी0बी0 एन्कलेव दिल्ली।

4.मु0अ0सं01894/18 धारा 342/364/394 भादवि थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद।

थाना कांधला पुलिस द्वारा युवक के साथ मारपीट करने मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुये 05 अभियुक्त गिरफ्तार :-

ज्ञात हो कि दिनांक 01.07.2025 को श्री राहुल पुत्र श्री धीरज सिंह निवासी ग्राम गढ़ीरामकौर थाना कांधला जनपद शामली के साथ एक सप्ताह पूर्व मोटर साईकिल की साईड़ लगने को लेकर अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौच, मारपीट की गयी थी जिसका वीड़ियो भी सोशल मीड़िया पर वायरल हो रहा था। श्री राहुल की तहरीर के आधार पर आज दिनाँक 02.07.2025 को थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना कांधला पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 02.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये युवक के साथ गाली गलौच कर मारपीट की घटना में लिप्त 05 अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा बकरी चोरी की घटना में वांछित चोर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 20.06.2025 को थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत भास्कर मण्डी कस्बा जलालाबाद स्थित श्री दिनेश पुत्र कूड़ामल के बाहर बंधी बंकरी को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया था। घटना के सम्बन्ध में वादी श्री दिनेश उपरोक्त की तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 02.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग व चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा बकरी चोरी की घटना में वांछित चोर को अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्त रहीश को दिनाँक 20.06.2025 को चोरी की गयी बकरी व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार किया जा चुका है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.नफीस उर्फ लद्दू पुत्र बशीर निवासी मौहल्ला आर्यनगर कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अवैध चाकू।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों से 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 15 लीटर अवैध कच्ची शराब व देशी शराब के पव्वे बरामदः-

आज दिनाँक 02.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 03 अलग-अलग स्थानों से 03 अभियुक्तगण को अवैध 15 लीटर कच्ची शराब व देशी शराब के 21 पव्वे सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.आवेश पुत्र जाकिर निवासी ग्राम बलवा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.राजबीर पुत्र सोहनवीर निवासी ग्राम व थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर हाल पता बडी माता मंदिर के पास थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.आशु पुत्र इकबाल निवासी मौहल्ला आर्यपुरी थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 15 लीटर कच्ची शराब।

2.अवैध देशी शराब के 21 पव्वे।

थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

आज दिनांक 02.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मोनू उर्फ काला पुत्र सत्यवीर निवासी मौहल्ला प्रेमनगर ग्राम एलम थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत चौसाना रोड़ ग्राम हरसाना के पास युवक पर जानलेवा हमला करने की घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना में लिप्त 02 अभियुक्त गिरफ्तार।</u>

ज्ञात हो कि दिनांक 22.01.2025 को वादी श्री अंकित कुमार पुत्र श्री ब्रजपाल सिंह निवासी ग्राम रेड़ा माजरा हरसाना थाना झिंझाना जनपद शामली के भाई संकित पर अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा जानलेवा हमला करने की घटना कारित की गयी थी। श्री अंकित कुमार की दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक शामली ने प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना को घटना के अनावरण व घटना में लिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था ।

इसी क्रम में आज दिनांक 02.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत चौसाना रोड़ ग्राम हरसाना के पास युवक पर जानलेवा हमला करने की घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना में लिप्त 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1.भीम पुत्र बालेराम निवासी ग्राम रेडा माजरा हरसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.अंकुश पुत्र रोशन निवासी ग्राम रेडा माजरा हरसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 07 अलग-अलग मामलो में 10 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 27,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2018 में अभियुक्तगण 1. रईस पुत्र शकील 2. गफ्फार पुत्र जमील 3. सत्तार पुत्र जमील 4. अनीस पुत्र शकील 5. जमील पुत्र हसीन 6. साहिल पुत्र फुरकान समस्त निवासीगण मौहल्ला काजीवाडा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 796/2018 धारा 13(क) पशु क्रुरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 02.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषी पाते हुए 2,000-2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10-10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.- वर्ष 2020 में अभियुक्त नासिर काटू पुत्र याकूब निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 492/2020 धारा 505(2) भादवि व 03 महामारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 02.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.- वर्ष 2018 में अभियुक्त शहजाद पुत्र अब्दुल रहीम निवासी मौहम्मदपुर राई थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0स0 174/2018 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 02.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 2,500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

4.- वर्ष 2017 में अभियुक्त शोएब पुत्र स्व0 हनीफ निवासी ग्राम चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0स0 387/2017 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 02.07.2025 को माननीय न्यायालय एसीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

5.- वर्ष 2021 में अभियुक्त शोएब पुत्र स्व0 हनीफ निवासी ग्राम चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0स0 55/2021 धारा 380/457 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 02.07.2025 को माननीय न्यायालय एसीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 1,500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

6.-वर्ष 2021 में अभियुक्त शोएब पुत्र स्व0 हनीफ निवासी ग्राम चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0स0 29/2021 धारा 457/380/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 02.07.2025 को माननीय न्यायालय एसीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 3,500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

7.-वर्ष 2024 में अभियुक्त सुनील पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम मौ0 विजयनगर थाना खेकडा जनपद बागपत के विरुद्ध थाना जीआरपी जनपद शामली पर मु0अ0स0 29/2021 धारा 457/380/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम

में आज दिनांक 02.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए 08 माह के कारावास की सजा 5,00/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI